न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— रतन कुमार स्वामी, आर.ए.एस

पत्रावली संख्याः— 97/2023/अपील

1 रूड़मल मीणा पुत्र शंकरलाल
2 रामपाल मीणा पुत्र शंकरलाल
समस्त जाति मीणा निवासीयान दुल्हेपुरा तहसील खण्डेला पंचायत समिति खण्डेला जिला सीकर

अपीलांट

बनाम

1 प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति खण्डेला जरिये अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति खण्डेला
2 जैताराम काजला पुत्र मांगूराम जाति जाट निवासी दुल्हेपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर

रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 22.08.2022 प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति खण्डेला प्रकरण अपील संख्या 03/2022 अनुवानी जैताराम बनाम रूड़मल मीणा आदि

वकील प्रार्थी श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा
वकील अप्रार्थी श्री रोहिताश मोरदिया

निर्णय **दिनांकः—13.04.2026**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो.नं. 2 ने योग्य अधिनस्थ न्यायालय प्रशासन एंव स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति खण्डेला के समक्ष एक अपील ग्राम पंचायत दुल्हेपुरा द्वारा निर्णय दिनांकित दिनांक 27.03.1968 के सम्बन्ध में जारी पट्टा दिनांक 14.04.1968 के सम्बन्ध में प्रस्तुत की जाकर उक्त पट्टे को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। जिस पर अपीलान्ट को नोटिस जारी होने पर अपीलान्टस ने योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब आवेदन व आवश्यक दस्तावेजात प्रस्तुत किये। किन्तु योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित आदेश जेर अपील पारित करते हुए अपीलान्टस का पट्टा संख्या 13 जो दिनांक 27.03.1968 को अपीलान्टस के पिता के हक में जारी किया था को निरस्त करने बाबत विवादित आदेश जेर अपील पारित किया है। प्रस्तुत प्रकरण का जो निर्णय रेस्पो. नं. 2 की ओर से प्रस्तुत अपील पर पारित किया गया है। उसे अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार न होने एवं रेस्पो. नं. 2 अपीलान्टस के हक में जारी पट्टे की बाबत किसी प्रकार पीडित पक्ष या प्रभावी पक्ष न होने के बावजूद सारहीन अपील का ग्राह्य कर सुनवाई करने में योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी भूल की है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपील निर्णय में दर्ज किया है कि पट्टा जारी दिनांक 27.03.1968 है जबकि पट्टा में वाछिंत शुल्क दिनांक 14.04.1968 को जमा हुआ है। किन्तु योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने ग्राम पंचायतो द्वारा पंचायत क्षेत्रो के अधीन भूमियो के पट्टा जारी करने के लिए ग्राम पंचायतो में चलाई जा रही प्रकिया पर गोर किये बिना विवादित निर्णय पारित किया है। ग्राम पंचायतो द्वारा पट्टा पत्रावलियो में विधि सम्मत कार्यवाही की जाकर निर्णय पारित किया जाता था एंव पट्टाधारी के पक्ष में निर्णय पारित होने पर ही वांछित शुल्क जमा कराये जाने का आदेश पारित किया जाता है एंव आदेशानुसार वांछित शुल्क जमा होने पर ही निर्णय की पालना में पट्टा जारी किया जाता है। इसी अनुसार अपीलान्टस के पट्टे में प्रक्रिया अपनाई गई है एंव अन्य पट्टा संख्या 16 जो ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है उसकी फोटो

अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

प्रति भी पत्रावली पर प्रस्तुत की गई हैं। जिसमें भी पट्टा निर्णय की दिनांक की पालना में शुल्क जमा होने के दिन जारी किया गया है एंव पट्टे की पुश्त पर पट्टा जारी करने की दिनांक 14.04.1968 दर्ज है। इस तथ्य पर बिना गम्भीरता से मनन किये विवादित निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्टस की ओर से अपने पट्टा संख्या 13 दिनांकित 27.03.1968 के आधार पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट पीटीशन संख्या 7214/2022 प्रस्तुत की थी। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अपीलान्टस के पट्टे को विधि सम्मत मानते हुए राज्य सरकार आदि एंव राज्य सरकार के उच्चाधिकारियो के विरूद्व दिनांक 17.05.2022 को स्थगन आदेश पारित किया हुआ है। उक्त आदेश की प्रति भी योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर होने के बावजूद योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। वर्तमान में ग्राम पंचायत दुल्हेपुरा का उप सरपंच है। जिसके द्वारा प्रस्तुत अपील में अपीलान्टस के हक में जारी पट्टे की संख्या तक दर्ज नहीं की गई है एंव अपील में दर्ज किया है पट्टे की प्रति अपीलान्टस ने ग्राम में की गई मिटिंग में अपीलान्टस द्वारा फोटो प्रति के रूप में दी गई है जबकि उक्त फोटो प्रति में पट्टे की संख्या 13 दिनांक 27.03.2068 दर्ज है। किन्तु अपील में पट्टा संख्या भी दर्ज नही है। अतः योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने किस पट्टे को निरस्त करने बाबत निर्णय पारित किया है, निर्णय से प्रमाणित नही है। अतः योग्य अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अस्पष्ट होने के कारण अपास्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जाकर प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति खण्डेला का निर्णय दिनांक 22.08.2022 प्रकरण अनुवानी जैताराम बनाम रूड़मल आदि प्रकरण संख्या 03/2022 अपास्त फरमाया जावे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2 की और से वकील श्री रोहिताश मोरदिया उपस्थित आये। योग्य अधिनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। योग्य अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन करने पर पत्रावली पर उपलब्ध मौका निरीक्षण रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि "प्रतिवादी ने अपील के अनुसार पक्का निर्माण कर रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, साथ ही प्रतिवादी अपने अतिक्रमण को जायज ठहराने के लिए इस अतिक्रमण स्थल का पट्टा भी अपने पास बताता है, अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार पट्टा स्थल के पूर्व दिशा में खाली आबादी पर प्रतिवादी ने बाड़े के रूप में कब्जा कर रखा है। जारी पट्टा की प्रति का अवलोकन से एवं मौका निरीक्षण से यह साबित नहीं होता है कि पट्टे को बाड़ा का माना जावे या अतिक्रमण स्थल का माना जावे। पट्टे को पूर्णतया अतिक्रमण स्थल का माना जाना संभव नहीं है, क्यों कि अतिक्रमण स्थल को पट्टा स्थल मानने पर रास्ता की चौड़ाई इस स्थल पर सबसे कम हो जाती है। चूंकि प्रतिवादी के पास अतिक्रमण स्थल के पूर्व दिशा में कब्जा शुदा भूमि है तो पट्टे को अतिक्रमण स्थल का मानना उचित नहीं है। अतिक्रमण स्थल इस रास्ता की निर्माण रेखा से बाहर रास्ते में है। उक्त समस्त विवेचन से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि पट्टा प्रति से पूर्णतया पट्टा स्थल का नाप एवं निर्धारण किया जाना संभव नहीं है।"

योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन करने पर निर्णय में अंकित किया गया है कि "पट्टा जारीकर्ता ने पट्टा धारक का कितना बाड़ा छोड़कर पट्टा जारी किया है एवं कितना चोक छोड़कर पट्टा जारी किया है। इन नापों एवं तथ्यों का अंकन नहीं करने से वास्तविक पट्टा स्थल पर पहुंच पाना संभव नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ रास्ता की चौड़ाई इस स्थल के अलावा अन्यत्र ज्यादा है। अतः अपील में अंकित तथ्यों का सत्यापन, मौका निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार पट्टा निरस्त किया जाता है। पट्टा प्रभाव शुन्य हो। निर्णय प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति की मिटिंग दिनांक 22.08.2022 के प्रस्ताव संख्या 02 से पारित है।"

अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किये जाने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहन अवलोकन करने पर पत्रावली पर उपलब्ध फर्द मौका निरीक्षण रिपोर्ट के मुताबिक जारी पट्टा की प्रति का अवलोकन से एवं मौका निरीक्षण से यह साबित नहीं होता है कि पट्टे को बाड़ा का माना जावे या अतिक्रमण स्थल का माना जावे। रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के मुताबिक पट्टे को पूर्णतया अतिक्रमण स्थल का माना जाना संभव नहीं होने एवं पट्टा प्रति से पूर्णतया पट्टा स्थल का नाप एवं निर्धारण किया जाना संभव नहीं होने बाबत अंकित किया हुआ है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के मुताबिक निर्णय में पट्टा संख्या का कोई अंकन नहीं किया गया है केवल मात्र प्रस्ताव संख्या अंकित की हुई है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का गहन अवलोकन करने पर पट्टा धारक के पक्ष में पारित किये गये पट्टे को निरस्त करने से पूर्व पट्टे की सीमाओं का माप एवं पट्टा शुदा भूमि के अलावा अतिक्रमण होने बाबत स्पष्ट अंकन नहीं करते हुए निर्णय पारित किया गया है जो पूर्ण रूप से स्पष्ट प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं न्यायालय प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति खण्डेला द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.08.2022 को इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतन कुमार स्वामी)
अति० जिला कलक्टर, सीकर
अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर